न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 135/2021

GCMS No. : 2021/107

–: प्रार्थी :– बनाम –: अप्रार्थीगण :–

1. तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
तहसील–जैतारण, जिला–पाली

1. पारसदेवी पत्नी नारायणलाल प्रजापति
निवासी– निमाज तहसील– जैतारण
जिला–पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू :– 10.08.2021

उपस्थितः– 1. तहसीलदार, जैतारण उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनॉकः– 23/05/2022

प्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि भूमि हाल **खसरा नम्बर 1249/1 कुल रकबा 05–15 बीघा मौजा** निमाज I में स्थित है। उक्त आराजी का वादी भूमिधारी(लैण्ड होल्डर) है। प्रतिवादीगण आराजी जैर बहस के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी संख्या 01 ने जमीन वर्णित धारा 01 वादपत्र को कृषि के रूप में काम में न लेकर उक्त जमीन को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाएं किस्म परिवर्तित कर **चिमनी ईंट भट्टा बनाकर** खर्द बुर्द कर रहें है। जिसका प्रतिवादीगण को हक नहीं है। प्रतिवादीगण ने राजस्थान काश्तकारी कानून के प्रावधानों व टीनेन्सी की शर्तो को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है। जिससे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा टीनेन्सी की शर्तो को भंग करनें व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य के कारण अब प्रतिवादीगण को जमीन वर्णित धारा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाना व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है। दावा हाजा के लिये बिनाय मुखासमत दिनांक 10.08.2021 को पैदा हुआ जब पटवारी हल्का निमाज प्रथम को वादी को प्रतिवादीगण द्वारा जमीन वर्णित धारा 01 वादपत्र से अवैध रूप से **अकृषि(चिमनी ईंट भट्टा)** कार्य करनें की सूचना जरिये रिपोर्ट दी। इस वादपत्र को सुनने का हक अदालत को धारा 177, 92क, आर.टी.एक्ट 1955 के तहत है। अतः वाद वादी मय शपथ पत्र व डुप्लीकेट प्रति के पेश कर निवेदन हैः– (क) वाद बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर जमीन वर्णित धारा 1 वादपत्र से बेदखल किया जावें तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वे जमीन वर्णित धारा 1 वादपत्र को खुर्द बुर्द नहीं करें, (ख) अन्य सिद्धि जो मुफिद वादी हो एवं 289 आर.टी.एक्ट. के तहत दिलाई जावे।

इस पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या एक को बार बार रुक रुक कर आवाजें दिलाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:59:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

गई बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। बहस प्रार्थी सरकारी पैरोकार तहसीलदार की सुनी गई।

पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, पटवारी निमाज प्रथम एवं तहसीलदार जैतारण की फर्द मोका रिपोर्ट दिनांक 10.08.2021 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम निमाज प्रथम के खसरा संख्या 1249/1 रकबा 05-15 बीघा किस्म चाही सोयम की खातेदार पारस देवी पत्नी नारायणलाल द्वारा उक्त कृषि भूमि में 01-00 बीघा जमीन पर चिमनी उक्त ईट भट्टा स्थापित कर बिना सक्षम स्वीकृति के कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है। चूंकि चिमनीयुक्त ईट भट्टा उद्योग स्थापित करने के लिए कृषि भूमि का नियमानुसार अकृषि औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन कराये जाना आवश्यक है लेकिन खातेदार द्वारा ऐसा संपरिवर्तन नही कराया गया है। ऐसी स्थिति में खातेदार द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि का अप्राधिकृत रूप से अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जाना एवं ऐसा उपयोग कृषि भूमि के लिए हानिप्रद होता है, भली-भांति साबित होता है। अतः दस्तगत वादपत्र भली-भांति साबित होने से इसे स्वीकार किया जाना तथा फर्द मौका रिपोर्ट 10.08.2021 में अंकित 01-00 बीघा भूमि में से खातेदार की अभिधृति निर्वापित करते हुए इसे सिवाय चक खाता सरकार दर्ज किया जाना तथा मौके से बेदखल किया जाकर वादग्रस्त आराजी को कब्जे राज लिया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

-: आदेश :-

अतः निष्कर्षतः वादी अंतर्गत धारा-177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली-भाँति साबित होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी ग्राम- निमाज प्रथम, तहसील- जैतारण, खसरा नंबर 1249/1 कुल रकबा 05-15 बीघा, किस्म- चाही सोयम में से पटवारी निमाज प्रथम की मौका रिपोर्ट दिनांक 10.08.2021 में अंकित 01-00 बीघा भूमि में से प्रतिवादी खातेदार पारसदेवी पत्नी नारायणलाल प्रजापति निवासी- निमाज के खातेदारी अधिकार विलोपित करते हुए खातेदार के कुल रकबे में से कम किया जाकर वादग्रस्त आराजी को सिवायचक खाता सरकार दर्ज करने के आदेश किए जाते हैं। प्रतिवादी पारसदेवी पत्नी नारायणलाल प्रजापति को वादग्रस्त आराजी से बेदखल किया जाकर कब्जा राज लिया जावे। इसी मुताबिक पर्चा बेदखली जारी हो जो कि इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर एवं, पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनांक 23/05/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:39:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं, पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

...ज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण
...ईजलास :- श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

प्रार्थी :-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
1. तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार तहसील-जैतारण, जिला-पाली		1. पारसदेवी पत्नी नारायणलाल प्रजापति निवासी- निमाज तहसील- जैतारण जिला-पाली राज0।

...जस्व प्रार्थना पत्र बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा, ...77 राजस्थान काश्तकारी ...धिनियम, 1955 मु0न0 :रा0वा0स0: 135/2021

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु ....-....... व ...जरी श्री तहसीलदार जैतारण, वादी मिनजानिब मुद्धई पेश होकर हुक्म दिया जाता है ...दी अंतर्गत धारा-177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली-भाँति साबित ...नें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी ग्राम- निमाज प्रथम, तहसील- ...तारण, खसरा नंबर 1249/1 कुल रकबा 05-15 बीघा, किस्म- चाही सोयम में से ...टवारी निमाज प्रथम की मौका रिपोर्ट दिनांक 10.08.2021 में अंकित 01-00 बीघा ...मि में से प्रतिवादी खातेदार पारसदेवी पत्नी नारायणलाल प्रजापति निवासी- निमाज के ...ातेदारी अधिकार विलोपित करते हुए खातेदार के कुल रकबे में से कम किया जाकर ...दग्रस्त आराजी को सिवायचक खाता सरकार दर्ज करने के आदेश किए जाते हैं। ...तिवादी पारसदेवी पत्नी नारायणलाल प्रजापति को वादग्रस्त आराजी से बेदखल किया ...ाकर कब्जा राज लिया जावे। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम ...ते हुए दाखिल दफ्तर हो।

...ज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-......फीस ...दी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 23/05/2022 को जारी ...्या गया।

...ोहर

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन न्यायिक कलक्टर, जैतारण (पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण,
(जिला-पाली)

...द्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
...ाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
...ाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
...ाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
...हनताना वकील			खर्चा गवाहान		
...र्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
...ीस कमीशनर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
...ाबत ईजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मिजानः-	— Nil —		मिजानः-	— Nil —	

...टः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया ...या हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:59:36 IST
Reason: SelfAttested